न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —204/2019

अनवान : —

1. सतपाल पुत्र भागचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. विकास कुमार पुत्र भागचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. भागचंद पुत्र रामजस जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुशीराम गोस्वामी वकील **वादीगण**
श्री विरेन्द्र जाखड वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 25/02/202

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 2 ता 5 मु0 न0 33 के किला न0 6, 7, 14/1, 15/1 कुल 1.255है0 नहरी खातेदारी व चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 1, 2 की 0.506है0 नहरी व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 65 किला न0 6, 7/2, 14 व 15 मु0 न0 66 किला न0 9, 10, 11, 12 कुल 1.572है0 बारानी खातदेरी भूमि प्रतिवादी भागचंद के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का जन्म से हक व अधिकार है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रामजस की खातेदारी हुआ करती थी। रामजस के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी भागचंद के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी भागचंद कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भागचंद अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भागचंद के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 एवं वादीगण ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। तथा प्रतिवादी सं0 2 स्टेट की ओर से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जवाब दावा पेश किया । राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी सतपाल पुत्र भागचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही चक 2 जेएसएल संवत 2072–75 जो प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2073–76 जो प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 1 जेएसएल संवत 2071–74 जो प्रदर्श 3, जमाबंदी चक 2 जेएसएल संवत 2048 जो प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 5 जेएसएल संवत 2045 जो प्रदर्श 5, जमाबंदी चक 1 जेएसएल संवत 2059 प्रदर्श 6, शपथ पत्र सतपाल प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 1, 2 की 0.506है0 नहरी व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 65 किला न0 6, 7/2, 14 व 15 मु0 न0 66 किला न0 9, 10, 11, 12 कुल 1.572है0 बारानी खातदेरी वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने एवं चक चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 2 ता 5 मु0 न0 33 के किला न0 6, 7, 14/1, 15/1 कुल 1.255है0 प्रतिवादी भागचंद के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने बाबत राजीनामा पेश किया है वादी ने अपने दावा को दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है इसलिए दावा वादी डिकी किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 1, 2 की 0.506है0 नहरी व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 65 किला न0 6, 7/2, 14 व 15 मु0 न0 66 किला न0 9, 10, 11, 12 कुल 1.572है0 बारानी खातदेरी के वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी भागचंद का नाम कलमजन किया जावे। एवं चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 2 ता 5 मु0 न0 33 के किला न0 6, 7, 14/1, 15/1 कुल 1.255है0 जो प्रतिवादी भागचंद के नाम है जो राजस्व रिकार्ड में यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —204/2019

अनवांन : —

1. सतपाल पुत्र भागचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. विकास कुमार पुत्र भागचंद जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

— **वादी**

ब ना म

1. भागचंद पुत्र रामजस जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विरेन्द्र जाखड की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही मोजा चक 2 जेएसएल के खाता सं0 83/111 के मु0 न0 6 किला न0 1, 2 की 0.506है0 नहरी व चक 5 जेएसएल के खाता सं0 279/263 के मु0 न0 65 किला न0 6, 7/2 14 व 15 मु0 न0 66 किला न0 9, 10, 11, 12 कुल 1.572है0 बारानी खातदेारी के वादीगण बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी भागचंद का नाम कलमजन किया जावे। एवं चक 1 जेएसएल वर्तमान खाता संख्या 68/91 के मु0 न0 51 के किला न0 2 ता 5 मु0 न0 33 के किला न0 6, 7, 14/1, 15/1 कुल 1.255है0 जो प्रतिवादी भागचंद के नाम है जो राजस्व रिकार्ड में यथावत रखी जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:26:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: